



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2013/भाद्र 13, 1935

No. 444]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2013/BHADRA 13, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 10 जुलाई, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(दसवा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 591(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे ।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे ।

2. विनियम में संशोधन

विनियम 10सी के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा,

“डी. अनिवासी भारतीय सहित कोई अनिवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत, किसी पंजीकृत दलाल (ब्रोकर) के जरिए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयर अर्जित कर सकता है बशर्ते कि :

- ए. अनिवासी निवेशक ने सेबी (सबस्टैन्शियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली के अनुसार पहले ही नियंत्रण प्राप्त किया है और ऐसा नियंत्रण बनाए रखा है;
- बी. अनिवासियों को अंतरण के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की खरीद हेतु प्रतिफल राशि 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 8 में किए गए विनिर्देशानुसार अथवा सेबी (सबस्टैन्शियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली के अनुसार अनिवासी द्वारा जिस निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी

का नियंत्रण प्राप्त किया गया है और उसे बनाए रखा गया है, से प्राप्य लाभांश से अदा की जा सकती है, बशर्ते लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सुस्थापित (established) हो और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के अर्जन के लिए लाभांश राशि विशेष रूप से नामित ब्याज रहित रुपया खाते में जमा की गयी हो।”

[सं. फेमा 279/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण : प्रमुख विनयमन शासकीय राजपत्र द्वारा सं. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 8 मई, 2000, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया :

- (क) सं. सा.का.नि. 158(अ), दिनांक 02-03-2001
- (ख) सं. सा.का.नि. 175(अ), दिनांक 13-03-2001
- (ग) सं. सा.का.नि. 182(अ), दिनांक 14-03-2001
- (घ) सं. सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 02-01-2002
- (ङ) सं. सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 19-08-2002
- (च) सं. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 18-03-2003
- (छ) सं. सा.का.नि. 225(अ), दिनांक 18-03-2003
- (ज) सं. सा.का.नि. 558(अ), दिनांक 22-07-2003
- (झ) सं. सा.का.नि. 835(अ), दिनांक 23-10-2003
- (ञ) सं. सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 22-11-2003
- (ट) सं. सा.का.नि. 12(अ), दिनांक 07-01-2004
- (ठ) सं. सा.का.नि. 278(अ), दिनांक 23-04-2004
- (ड) सं. सा.का.नि. 454(अ), दिनांक 16-07-2004
- (ढ) सं. सा.का.नि. 625(अ), दिनांक 21-09-2004
- (ण) सं. सा.का.नि. 799(अ), दिनांक 08-12-2004
- (त) सं. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 01-04-2005
- (थ) सं. सा.का.नि. 202(अ), दिनांक 01-04-2005
- (द) सं. सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 25-07-2005
- (ध) सं. सा.का.नि. 505(अ), दिनांक 25-07-2005
- (न) सं. सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 29-07-2005
- (प) सं. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 22-12-2005
- (फ) सं. सा.का.नि. 29(अ), दिनांक 19-01-2006
- (ब) सं. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 11-07-2006
- (भ) सं. सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 14-11-2007
- (म) सं. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 14-11-2007
- (य) सं. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 29-11-2007
- (र) सं. सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 05-08-2008
- (ल) सं. सा.का.नि. 896(अ), दिनांक 30-12-2008
- (व) सं. सा.का.नि. 851(अ), दिनांक 01-12-2009
- (श) सं. सा.का.नि. 341(अ), दिनांक 21-04-2010
- (ष) सं. सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 03-08-2012
- (स) सं. सा.का.नि. 795(अ), दिनांक 30-10-2012
- (ह) सं. सा.का.नि. 796(अ), दिनांक 30-10-2012

- (कक) सं. सा.का.नि. 797(अ), दिनांक 30-10-2012
 (खख) सं. सा.का.नि. 821(अ), दिनांक 10-11-2012
 (गग) सं. सा.का.नि. 946(अ), दिनांक 31-12-2012
 (घघ) सं. सा.का.नि. 38(अ), दिनांक 22-01-2013
 (ङङ) सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक
 (चच) सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक
 (छछ) सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक
 (जज) सं. सा.का.नि. 341(अ), दिनांक 28-5-2013
 (झझ) सं. सा.का.नि.(अ), दिनांक
 (ञञ) सं. सा.का.नि. 195(अ), दिनांक 1-4-2013
 (टट) सं. सा.का.नि. 393(अ), दिनांक 21-6-2013

RESERVE BANK OF INDIA**(Foreign Exchange Department)****(CENTRAL OFFICE)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th July, 2013

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India)
 (Tenth Amendment) Regulations, 2013**

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB dated 3rd May 2000), hereinafter called ‘Principal Regulations’ namely:—

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation

After Regulation 10C, the following shall be added,

“D. A non-resident including Non Resident Indian may acquire shares of a listed Indian company on the recognised stock exchange through a registered broker under FDI Scheme provided that;

- a. The non-resident investor has already acquired the control in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations and continues to hold such control;
- b. The amount of consideration for purchase of shares on the recognised stock exchange for transfer to non-residents may be paid as specified in para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000 or out of the dividend payable by Indian investee company in which the non-resident has acquired and continues to hold the control in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, provided the right to receive dividend is established and the dividend amount has been credited to specially designated non-interest bearing rupee account for acquisition of shares on the recognised stock exchange”.

[No. FEMA 279/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:— The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.406 (E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R. No. 158(E), dated 02.03.2001
G.S.R. No. 175(E), dated 13.03.2001
G.S.R. No. 182(E), dated 14.03.2001
G.S.R. No. 4(E), dated 02.01.2002
G.S.R. No. 574(E), dated 19.08.2002
G.S.R. No. 223(E), dated 18.03.2003
G.S.R. No. 225(E), dated 18.03.2003
G.S.R. No. 558(E), dated 22.07.2003
G.S.R. No. 835(E), dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899(E), dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12(E), dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278(E), dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454(E), dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625(E), dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799(E), dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201(E), dated 01.04.2005
G.S.R. No. 202(E), dated 01.04.2005
G.S.R. No. 504(E), dated 25.07.2005
G.S.R. No. 505(E), dated 25.07.2005
G.S.R. No. 513(E), dated 29.07.2005
G.S.R. No. 738(E), dated 22.12.2005
G.S.R. No. 29(E), dated 19.01.2006
G.S.R. No. 413(E), dated 11.07.2006
G.S.R. No. 712(E), dated 14.11.2007
G.S.R. No. 713(E), dated 14.11.2007
G.S.R. No. 737(E), dated 29.11.2007
G.S.R. No. 575(E), dated 05.08.2008
G.S.R. No. 896(E), dated 30.12.2008
G.S.R. No. 851(E), dated 01.12.2009
G.S.R. No. 341 (E), dated 21.04.2010
G.S.R. No. 606(E), dated 03.08.2012
G.S.R. No. 795(E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 796(E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 821(E), dated 10.11.2012
G.S.R. No. 946(E), dated 31.12.2012
G.S.R. No. _____ dated _____,
G.S.R. No. 38(E), dated 22.01.2013
G.S.R. No. _____ dated _____,
G.S.R. No. _____ dated _____,
G.S.R. No. _____ dated _____,
G.S.R. No. 341(E), dated 28.05.2013,
G.S.R. No. _____ dated _____,
G.S.R. No. 195(E), dated 01.04.2013,
G.S.R. No. 393(E), dated 21.06.2013